

निर्णय

(आज दिनांक 27.02.2017 को पारित किया गया)

1. आरोपी द्वारा की गयी स्वेच्छापूर्वक दोषसिद्धि के अभिवाक के परिणामस्वरूप आरोपी को धारा 279 भा.द. स. के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है ।

2 आरोपी को निम्न तालिका अनुसार दण्डित किया जाता है

धारा	कारावास	अर्थदण्ड	अर्थदण्ड जमा करने के व्यतिक्रम की दशा में कारावास
279 भा.द.स.	न्यायालय उठने तक का	एक हजार रुपये	दस दिवस

3. प्रकरण में जप्त वाहन क्रमांक एम0पी0-07-जी.ए.3014 आवेदक भंवरसिंह की सुपुर्दगी पर है। अतः सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात उन्मोचित किया जाये और अपील होने की दशा में अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जाये।

सही / -

गोपेश गर्ग
जे.एम.एफ.सी गोहद जिला भिण्ड